लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2061
दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

"वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन"

2061. श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस कार्यक्रम के दौरान कारीगरों और हस्तशिल्प कामगारों के लाभार्थ कोई नई नीतियां अथवा योजनाएं शुरु की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योगों में कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए इन आयोजनों से किस प्रकार मदद मिलेगी; और

(ग) क्या वस्त्र क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों के लिए कोई प्रोत्साहन अथवा वित्तीय सहायता वाले कार्यक्रम विद्यमान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) एवं (ख): विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान कोई नई नीतियां अथवा योजनाएं शुरु नहीं की गई है। तथापि, भारत सरकार वस्त्र उद्योग में रोजगार बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाएं/पहलें जैसे प्रधान मंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क (पीएम-मित्रा), उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) आदि कार्यान्वित कर रही है। साथ ही, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय भी देश भर के हस्तशिल्प कारीगरों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए दो योजनाएं नामशः राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) कार्यान्वित करता है। दोनों योजनाओं में विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम जैसे गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (जीएसएचपीपी), वृहत्त कौशल उन्नयन कार्यक्रम (सीएसयूपी) और डिजाइन एवं प्रोद्यौगिकी विकास कार्यशाला (डीडीडबल्यू) शामिल हैं जो हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास के सृजन में सहायक है।

(ग): भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र में स्टार्ट अप्स और नए व्यापारों सहित वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ/ पहलें कार्यान्वित कर रही है। मुख्य योजनाओं/पहलों में शामिल हैं-प्रधान मंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क (पीएम-मित्रा) जो एक आधुनिक, व्यापक स्तर पर विश्व स्तरीय औद्यौगिक इको-सिस्टम के सृजन की ओर लक्ष्यांकित है जिससे निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने में सहायता मिलेगी; उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) योजना जो मानव निर्मित रेशों और परिधानों तथा तकनीकी वस्त्रों पर फोकस करती है ताकि बड़े पैमाने पर विनिर्माण एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सकें; राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) अनुसंधान, नवोन्मेष एवं विकास, संवर्धन तथा बाजार विकास पर फोकस करती है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख योजनाओं नामशः फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) कार्यान्वित कर रही है ताकि भिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में समर्थन प्रदान किया जा सके।

एफ़एफ़एस की स्थापना वर्ष 2016 में उद्यम पूंजी को उत्प्रेरित करने हेतु की गई थी तथा इसका संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)- पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है और बदले में वे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। एफएफएस के तहत समर्थित एआईएफ को स्टार्टअप्स में एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम 2 गुना निवेश करना आवश्यक है।

एसआईएसएफएस इन्क्यूबेटर के माध्यम से सीड स्टेज स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएसएफएस को 01 अप्रैल, 2021 से लागू किया गया।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों [सदस्य संस्थानों (एमआई)] के माध्यम से स्टार्टअप्स को कोलेटरल मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। सीजीएसएस का संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है जो 01 अप्रैल 2023 से कार्यात्मक है।

डीपीआईआईटी द्वारा विगत पांच वर्षों अर्थात 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक वस्त्र क्षेत्र में स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या नीचे दी गई है:-

उद्योग	2020	2021	2022	2023	2024
वस्त्र एवं परिधान	204	311	457	703	765

****